भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 942
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास

942. श्री गणेश सिंह :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2014 से अब तक, महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकारों के संरक्षण, पोषण और किशोरियों के विकास के क्षेत्र में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का राज्य-वार, विशेषकर मध्य प्रदेश के सतना जिले के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे जनजातीय और सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण राज्य में महिला सुरक्षा, किशोरियों की शिक्षा, पोषण और सशक्तीकरण के संबंध में कोई स्थानीय कार्यनीति अपनाई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जिले में कार्यान्वित की जा रही ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सी श्रेणियां लाभान्वित हुई हैं;

(घ) क्या सरकार राज्यों के आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों (जैसे बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र) में भी सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या इस उद्देश्य के लिए राज्यों के साथ कोई समझौता ज्ञापन या परिणाम-आधारित साझेदारी शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार मध्य प्रदेश के सतना जिले और आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में, सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बन सकें। यह 'महिला प्रेरित विकास' 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के, जिनमें महिलाओं और बच्चों के आर्थिक सशक्तीकरण और कल्याण से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं, को तीन प्रमुख मिशनों में शामिल किया गया है अर्थात (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों/बालिकाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i). मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण संबंधी कार्यकलापों को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर तालमेल में सुधार के लिए कार्यनीतियां प्रस्तावित करने पर विशेष ध्यान देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए क्रमश: दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।
"संबल" घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

क. वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)- जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।

ख. महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) - महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है।

ग. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) - बीबीबीपी मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।

घ. नारी अदालत- एक ऐसा प्रयोगात्मक मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

"सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

क. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)- पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

ख. शक्ति सदन- शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. सखी निवास- सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. पालना- पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं।

ङ. संकल्प: **महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) - संकल्प:** एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक घटकों: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है ताकि अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण पहुँचाया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो पर्याप्त अवसंरचना के बिना किराए पर चल रहे हैं, निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ स्थान उपलब्ध हो, एक साथ स्थापित करें।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर समाधान करने के लिए शारीरिक विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु का वजन मापने वाला यंत्र, माता और बच्चे का वजन मापने वाला यंत्र जैसे शारीरिक विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य [पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)] एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, इसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान तैयार करना, (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना, (iv) आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा तालमेल की कार्रवाई को मजबूत करना है।

यह योजना कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकारों के संरक्षण, पोषण और किशोरियों के संबंध में की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

I. मिशन शक्ति

- **महिला हेल्पलाइन- "एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन":** महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) में कार्यशील हो गई है और सभी 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) के साथ एकीकृत हो गई है। अप्रैल, 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से, 31 मई, 2025 तक 88.24 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों को निर्बाध हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तक 574 वन स्टॉप सेंटरों को डब्ल्यूएचएल के साथ एकीकृत किया जा चुका है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (एफआरएस का उपयोग करके) शुरू किया गया है और 21 मई, 2025 से पीएमएमवीवाई के तहत सभी नए नामांकनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसे पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) मॉड्यूल का लाभ उठाकर लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएमएमवीवाई एप्लिकेशन में अब यूआईडीएआई आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन (फेसऑथ) सुविधा भी शामिल है जो यूआईडीएआई सर्वर के माध्यम से सीधे आधार-आधारित

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम बनाती है। किसी भी लाभार्थी का प्रमाणीकरण दो तरीकों अर्थात एफआरएस या फेसऑथमें से किसी एक का उपयोग करके किया जा सकता है।

- **संकल्प: एचईडब्ल्यू के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च** किया गया ताकि योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक समय ट्रैकिंग को रिकॉर्ड किया जा सके और सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या, लाभार्थी फीडबैक और प्रभाव मूल्यांकन सहित योजना के विभिन्न मापदंडों की निगरानी की जा सके।
- **शक्ति सदन** घटक विशेष रूप से निराश्रित महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सेवा के लिए बनाया गया है। शक्ति सदन घटक के तहत, प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक ऐसे घरों के निवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन (181) सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो उन्हें उचित अधिकारियों से जोड़ती है। यह देश भर में महिलाओं के कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है।

II. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0

- **सामुदायिक स्तर पर कुपोषण के प्रबंधन के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (सीएमएएम प्रोटोकॉल):** पहली बार, एमडब्ल्यूसीडी द्वारा एमओएचएफडब्ल्यू के इनपुट के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय 'कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल' (सीएमएएम प्रोटोकॉल) का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत उपाय दिए गए हैं, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल के लिए निर्णय लेना शामिल है। यह प्रोटोकॉल 10 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया था।
- **मिलेट्स (श्रीअन्न) को पूरक पोषण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।** पोषण पखवाड़ा 2023 में स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स(श्रीअन्न) के बारे में जागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए एक करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं। पोषण 2.0 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सप्ताह में एक बार पूरक पोषण के तहत मिलेट्स अनिवार्य रूप से दिया जाना है। गर्भवती महिलाओं के लिए छह अर्थात उत्तर, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य क्षेत्र-वार आहार चार्ट तैयार किए गए हैं।
- **लाभार्थियों के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरण की सुविधा:** यदि लाभार्थी किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत है, तो उसे पोषण ट्रैकर में प्रवास सुविधा के माध्यम से रहने की अवधि के दौरान नए आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। पोषण ट्रैकर के तहत लाभार्थियों के लिए एक राज्य के भीतर और बाहर एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी

केंद्र में स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। लाभार्थी के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

- 10 मई, 2023 को शुरू किया गया **पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी)** एक अग्रणी ईसीसीई कार्यक्रम है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्री-स्कूल नेटवर्क विकसित करने में भारत की मदद करेगा।
- **आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन:** मंत्रालय ने आयुर्वेद पहलों के माध्यम से किशोरियों में पोषण सुधार के लिए फरवरी 2024 में आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों मंत्रालयों ने एनीमिया से ग्रस्त जिलों (जहां एनीमिया का औसत प्रसार लगभग 69.5% है) में लगभग 77,225 किशोरियों के पोषण में सुधार के उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पांच जिलों के लगभग 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करेगी।
- **पीएम जनमन:** पीएम-जनमन के तहत कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) स्वीकृत किए गए हैं और जिनमें से देश भर में अब तक 2055 एडब्ल्यूसी शुरु हो चुके हैं।

III. मिशन वात्सल्य

- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 बच्चों को लैंगिक शोषण और लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। इसमें 2019 में संशोधन किया गया ताकि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध करने वालों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंड का प्रावधान किया जा सके।
- बच्चों को शोषण/हिंसा और लैंगिक शोषण से बचाने के लिए मंत्रालय द्वारा पॉक्सो नियम, 2020 अधिसूचित किए गए थे। इसके नियम-3 के तहत यह प्रावधान है कि ऐसी कोई भी संस्था जिसमें बच्चे रहते हैं या जो बच्चों के नियमित संपर्क में आती हैं जिनमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बालकों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल है, प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वह शिक्षण या गैर-शिक्षण का हो, चाहे वह नियमित या संविदा पर हो या ऐसी संस्था का कोई अन्य व्यक्ति जो उसका कर्मचारी होने के नाते बच्चे के संपर्क में आता है, उसका समय- समय पर पुलिस सत्यापन तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य रूप से करायेगी। ऐसी संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि बाल सुरक्षा और संरक्षण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- 2023-2024 में मंत्रालय ने नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत "**पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत पीड़ितों की देखभाल और सहायता हेतु**

योजना" नामक केंद्र द्वारा वित्त पोषित एक योजना शुरू की है, जिसका कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाएगा।

- 26.4.2024 को **मॉडल पालक देखभाल दिशानिर्देश 2024** जारी किए गए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 में संशोधन के आलोक में दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
- संशोधित दिशानिर्देश पालक देखभाल के बारे में हितधारकों के बीच स्पष्टता, दक्षता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं जिसका उद्देश्य बच्चों को लंबे समय तक बाल देखभाल संस्थानों में रहने के बजाय परिवार जैसी व्यवस्था में रहने की सुविधा प्रदान करना है। इस दिशा-निर्देश में प्रक्रियागत स्पष्टता, पात्रता की शर्तें और पालक देखभाल के विस्तृत चरण का उल्लेख हैं और ऐसी पालक देखभाल के परिणामस्वरूप अंततः उसी पालक परिवार द्वारा बच्चे को गोद ले लिया है जिसने बच्चे को दो साल की अवधि के लिए अपनी देखभाल में रखा है।

इसके अलावा, देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 'निर्भया कोष' के तहत कई योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/की जा रही हैं:

- मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता के लिए 827 मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि पुलिस स्टेशन आने वाली किसी भी महिला के लिए ये पहला और एकमात्र संपर्क बिंदु होंगे, 14,658 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13,743 का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं।
- 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं जहाँ 24,264 व्यक्तियों को साइबर संबंधी मामलों के निपटान का प्रशिक्षण दिया गया है।
- जघन्य लैंगिक अपराधों की शिकार दुर्भाग्यशाली महिलाओं और युवतियों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए 2019 से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 30.04.2025 तक, 790 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 405 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 746 न्यायालय 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा देश भर में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के कुल 3.25 लाख मामलों का निपटारा किया है।
- महिलाओं के कार्यस्थल और निवास वाले सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षित शहर परियोजनाओं के अंतर्गत 8 शहरों (अहमदाबाद,

बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में उप-परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।

- महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) को वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर और ट्रेन में अकेली महिला यात्री की सुरक्षा के लिए टैब, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) आदि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

*****